न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 30 / 2010 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 चोथू पुत्र पोखर
2 मोहरया पुत्र मामराज
3 प्रकाश पुत्र श्योकरण

समस्त जाति माली निवासीगण बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री भंवरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः—18.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बल्लभदासपुरा के भूमि ख0 नं 253 / 1 रकबा 0.45 है0 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में चोथू पुत्र पोखर, मोहरया पुत्र मामराज, प्रकाश पुत्र श्योकरण माली सा.देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वर्ष 2020 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी। नियमन / आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 253 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा में से पेमाराम पुत्र श्री सुण्डाराम निवासी बल्लभदासपुरा के नाम से रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का आंवटन नियमन होकर गैर खातेदारी / खातेदारी पेमाराम पुत्र सुण्डाराम निवासी बल्लभदासपुरा के नाम से दर्ज है। यह भूमि गलत रूप से आवंटन / नियमन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 20.3.1976 को गलत रूप से नियमों के विपरीत आवंटन / नियमन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है, जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत में या विक्रय के पश्चात् चालू जमाबन्दी में चौथू पुत्र पोखर, मोहरया पुत्र मामराज, प्रकाश पुत्र श्योकरण माली निवासी बल्लभदासपुरा के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री भंवरलाल बिजारणिंया उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन जिस आवंटन / नियमन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है उक्त आवंटन / नियमन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 1217 मुताबिक तहसीलदार के आदेश अनुसार व मुताबिक नियमन आदेश दिनांक 20.03.1970 के खसरा नम्बर 253 / 1मि. रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा गोरधनसिंह पुत्र महेशदान कौम राजपूत सा.देह व खसरा नम्बर 253 / 1मि. रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा पेमा पुत्र सुण्डा कौम माली सा.देह के नाम से तस्दीक

Web Copy - Not Official

होने पर सम्पूर्ण खाता चोथू पुत्र पोकर मोहरया पुत्र मामराज प्रकाश पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज किया जाना अंकित किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में अंकित नोट अनुसार नामान्तकरण संख्या 60 किस आदेश के आधार पर स्वीकृत किया गया है ? एवं पेमाराम पुत्र सुण्डाराम कोम माली के नाम से अंकित खातेदारी किस आदेश के द्वारा चोथू पुत्र पोखर आदि के नाम से दर्ज की गई है ? इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं नामान्तकरण संख्या 60 की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेफरेन्स प्रकरण अपूर्ण एवं सरसरी तौर पर दर्ज कराया गया है। अतः आवंटन आदेश एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से रेफरेन्स आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवंटन/नियमन आदेश की जांच करें तथा उपरोक्त आराजियात का अप्रार्थीगण के नाम से गलत आवंटन हुआ है तो सम्पूर्ण दस्तावेजात/आवंटन आदेश सहित पुनः रेफरेन्स आवेदन पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official